न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/177/2019	2019/00470	15.10.2019	23.05.2022

—उनवान—

1. सरताब देवी पत्नी नन्दराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम गूंती तहसील बहरोड जिला अलवर राज0।
2. राजकुमार पुत्र नन्दराम
3. सतीश कुमार पुत्र नन्दराम अहीर निवासी गूंती तहसील बहरोड जिला अलवर राज0।

—अपीलांट्स

बनाम

1. सरकार जरिये पटवारी हल्का सिरमौली जिला अलवर राज0।

—रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार अलवर का प्रकरण संख्या 04/2017 निर्णय दिनांक 27.07.2018 अन्तर्गत एलआरएक्ट 1956 की धारा 90ए

उपस्थितः—

01. श्री के.के. रायजादा —वकील अपीलान्ट्स

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 27.07.2018 अन्तर्गत एलआरएक्ट 1956 की धारा 90ए से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जिस निर्णय दिनांक 27.07.2018 के द्वारा मिन अपीलांट्स को उसकी खातेदारी आराजी वाके ग्राम रायसीस खसरा नम्बर 719 रकबा 0.56, 720 रकबा 0.29, 721 रकबा 0.01 है0 गैरमुमकिल चाह, 722 रकबा 0.06, 723 रकबा 1.34 है0 में 50 बाई 200 फुट के 5 गोदाम (अनाज भण्डार गृह) व ऑफिस बनाकर पक्का निर्माण कार्य बिना रूपांतरण के व्यावसायिम गतिविधियां संचालित मानकर विधि विरूद्ध अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रतिपादित सिद्धांत व भू—राजस्व अधिनियम की धारा 90ए (5) के सबक्लॉज डी व उसके परन्तुक में दी गयी व्यवस्था का ध्यान रखे बिना आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने ना तो मौका देखा। महज मिथ्या रिपोट पटवारी हल्का पर विश्वास करके आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो पटवारी रिपोर्ट दिनांक 26.09.2017 पर आधारित है। जिसमें पटवारी द्वारा विवादित आराजी पर 50 बाई 200 फुट के 5 गोदाम बने हुए बताये गये है जबकि उक्त आराजीयात् पर कोई गोदाम नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 723 में निर्माण भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा अनुदानित ग्रामीण भण्डार योजना के अन्तर्गत मिन अपीलांट्स के द्वारा ग्रम पंचायत सिरमौली से लिखित में निर्माण की अनुमति प्राप्त कर अनाज भण्डार गृह व ऑफिस का निर्माण लगभग 9 वर्ष पूर्व किया गया था। जिसकी जानकारी सरकारी स्तर पर तहसीलदार को रही है। मिन अपीलांट्स द्वारा उक्त बाबत लॉन भी लिया गया है। जिस सब का रहननामा का इंतकाल भी 680 व 747 हल्का पटवारी द्वारा भरवाया। भू0अ0निरी0 द्वारा जांच कर उप तहसीलदार बहादुरपुर द्वारा दिनांक 14.09.2011 को स्वीकृत किया गया। इससे स्पष्ट है कि समस्त तथ्यों की जानकारी पीठासीन अधिकारी को रही है। आराजी खसरा नम्बर 723 में ग्राम पंचायत सिरमौली से अनाज भण्डार निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 20.05.2011 को प्राप्त कर निर्माण कराया गया। अन्य किसी खसरा नम्बर में

जिला कलक्टर, अलवर

अनाज भण्डार हेतु निर्माण नहीं कराया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अनाज भण्डार गृह को गलत प्रकार व्यावसायिक गतिविधि बनाने हेतु व शराब गोदाम मानने में भारी गलती की है जबकि मिन अपीलांट्स ने स्पष्ट रूप से अधीनस्थ न्यायालय को अवगत करा दिया गया था कि उसने बैंक लॉन लेकर भारत सरकार की अनाज भण्डार योजना के तहत उस आराजी खसरा नम्बर को बैंक ने रहन रखा है। जिस का इंतकाल भी पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर उप तहसीलदार बहादुरपुर द्वारा सन् 2011 में तस्दीक किया गया है। सभी विधिक प्रकिया अपनाते हुए अनाज भण्डार गृह बनाये है जो अतिक्रमण की परिधि में नहीं आते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का मौका दिये बिना आलौच्य आदेश पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलांट्स को नहीं थी। जानकारी होने पर बिना देरी के अपील पेश की गयी है। इस हेतु मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत पृथक से प्रा0पत्र पेश किया गया है। आलौच्य आदेश में अपीलांट्स की समस्त आराजी खसरा नम्बरान् पर अतिक्रमी मानकर बेदखल करने व कब्जाराज लेने के विधि विरूद्ध व गलत आदेश पारित किये है जबकि अपीलांट्स ने आराजी खसरा नम्बर 719 लगा0 722 में कोई अनाज गोदाम नहीं बनाये है। आलौच्य आदेश जिसमें भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए (5) के सबक्लॉज बी व उसके परन्तुक में दी गयी व्यवस्था जिसके तहत बेदखल करने की बजाय उसे असेसमेंट प्रीमियम व पैनल्टी आरोपित करने का प्रावधान है, को ध्यान नहीं रखते हुए पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.07.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। वकील अपीलांट्स ने बहस में मुख्य तर्क यह उठाया है कि अपीलांट्स द्वारा खसरा नम्बर 723 में अनाज भण्डारण योजना के तहत अनाज गोदाम बनाया गया है। अपीलांट्स द्वारा खसरा नम्बर 719 लगा0 722 में कोई वेयर हाउस नहीं बनाया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी खसरा नम्बरान् को धारा 90ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अपीलांट्स को अतिक्रमी घोषित कर आराजीयात् से बेदखल करने के आदेश दिये गये है तथा अपीलांट्स के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को प्रेषित करने के आदेश दिये गये है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा बिना संपरिवर्तन कराये कृषि भूमि पर अकृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त विवादित खसरा नम्बर ग्राम नंगला रायसीस के है जो नगर विकास न्यास अलवर की परिधि क्षेत्र में आते है। अपीलांट्स द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए एवं भूमि रूपान्तरण नियम 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन कर बिना किसी विधिक अनुमति के बिना संपरिवर्तन कराये कृषि भूमि को अकृषि भूमि के रूप से उपयोग में लिया जा रहा है। अपील अपीलांट्स खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। अपीलांट्स सक्षम ऑथोरिटी से नियमानुसार भूमि संपरिवर्तन कराने हेतु स्वतंत्र है तथा अपीलांट्स को विवादित भूमि जिस पर भण्डार गृह बना हुआ है, को संपरिवर्तन कराने हेतु 02 माह का समय दिया जाता है। 02 माह पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को विधि द्वारा सुस्थापित विधिक प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)